संख्या:6785/नौ-5-13-157बजट/2011

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक/एस.एल.एन.ए.,
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2014

विषयः जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की स्वीकृत सड़क निर्माण एवं उपरिगामी सेतु निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पी.एम.यू./1163/22/2013, दिनांक-01.10.2013 एवं सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1030(1)/4/ई.ई. जोन-4/2013-14, दिनांक-17.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यान्श के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की स्वीकृत सड़क निर्माण एवं उपरिगामी सेतु निर्माण परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू.22843.50 लाख, जिसमें रू.2251.19 लाख की लागत बृद्धि हुई है, की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(रूपये लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत लागत	व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत	पी.एफ.ए.डी. द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत	स्वीकृत पुनरीक्षित लागत	लागत बृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	गाजियाबाद	जनपद गाजियाबाद की स्वीकृत सड़क निर्माण एवं उपरिगामी सेतु परियोजना	9087.67	20589.31	23456.66	22843.50	22843.50	2254.19

1. प्रायोजना की मूल स्वीकृत लागत एवं प्रथम पुनरीक्षण के सापेक्ष बढ़ी हुई लागत की धनराशि सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक-1030(1)/4/ई.ई.-जोन-4/2013-14 दिनांक-17.10.2013 के क्रम में अपने स्वयं के स्रोत से वहन की जायेगी।
2. प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय। भविष्य में प्रायोजना को कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।
3. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगायी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
4. प्रायोजना प्रस्ताव में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.या-58 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं.या-24 से जोड़ने वाले मार्ग तथा दिल्ली हाबड़ा रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. के निर्माण में प्राइज एडजेस्टमेन्ट की लागत के औचित्य के अभाव में प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया है, परन्तु टेण्डर कास्ट की लागत प्रायोजना की ~~आंकलित~~ लागत में यथावत सम्मिलित किया गया है। जिसका समस्त उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कार्यदायी संस्था का होगा। इस पर व्यय सुसंगत

नियमों के अन्तर्गत किया जाय तथा इस हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जाय, ताकि प्रायोजना के पुनः पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न न हो और समय से कार्य पूर्ण किया जा सके।

5. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय पाविर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रास्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं के अनुसार निर्माण कार्य सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग विभाग की अशासकीय पंजी संख्या-ई-8-1133/दस-2014, दिनांकः 26 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-6785(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग), उ.प्र. इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/गाजियाबाद।
4. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश भवन, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
9. कोषाधिकारी, गाजियाबााद।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
11. वित्त(ई-8) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
13. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
14. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
उप सचिव।